संख्या-03/2025/1016/एक-1-2024-
1-1/147/2024-रा0-1

प्रेषक,

राम रतन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 01 मार्च, 2025

विषयः-मीरजापुर थर्मल एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु तहसील सदर/मड़िहान/लालगंज, जनपद मीरजापुर में विहित सीमा से अधिक कुल 295हे0 भूमि क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-2207/जि0भू0व्य0लि0/2024 दिनांक-18.12.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत प्रकरण में उपजिलाधिकारी, सदर/मड़िहान/लालगंज की आख्या संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित) की धारा-89 की उपधारा-3 एवं 4 में वर्णित व्यवस्था के आलोक में श्री राज्यपाल मिर्ज़ापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड" को तापीय विद्युत् परियोजना हेतु रेलवे लाइन, वाटर पाइप लाइन, इंटेक व डीबी पंपहाउस आदि के लिए तथा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित भूमियों में तहसील सदर, जिला-मिर्ज़ापुर के अंतर्गत चिन्हित 73.121हे0 भूमि एवं तहसील-लालगंज, जिला मिर्ज़ापुर के अंतर्गत ग्राम-महुगढ़ी तथा ग्राम-देवहट की 79.726हे0 भूमि तथा तहसील-मड़िहान, जिला-मिर्ज़ापुर के अंतर्गत रेलवे लाइन टाउनशिप के लिए चिन्हित 142.153हे0 भूमि (73.121+79.726+142.153हे0) कुल 295हे0 भूमि क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) तापीय विद्युत् परियोजना हेतु रेलवे लाइन, वाटर पाइप लाइन, इंटेक व डीबी पंपहाउस आदि की स्थापना हेतु भूमि का संक्रमण अधिकृत संस्था के नाम भूमिधरों से आपसी सहमति के आधार पर किया जायेगा। यह आदेश किसी भी भूमिधर को उसकी भूमि को विक्रय हेतु बाध्य नहीं करता है।

(2) यदि उक्त आवेदक कंपनी/संस्था उपधारा-(3) के अधीन अनुज्ञा प्राप्त किए जाने के तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के भीतर परियोजना स्थापित करने में असफल रहती है तो उक्त अनुज्ञा व्यपगत हो जाएगी और उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-89(2) के अधीन विहित सीमा से अधिक अर्जित अथवा क्रय की गई भूमि, राज्य सरकार में निहित हो जाएगी तथा धारा-105 के परिणाम लागू हो जाएंगे।

(3) किसी अनुसूचित जाति के भूमिधर की भूमि क्रय करने के लिए उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-98 के अंतर्गत नियमानुसार अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए, यह अनुमति शून्य समझी जाएगी और विहित सीमा से अधिक क्रय की गई भूमि राज्य सरकार में निहित हो जाएगी।

(5) परियोजना स्थापित करने हेतु सभी संबंधित विभागों से अनापत्ति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक कंपनी/संस्था का होगा। सभी संबंधित विभागों से आपत्ति प्राप्त करने के पश्चात् ही परियोजना स्थापित की जाएगी।

(6) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में आवेदक कंपनी/संस्था द्वारा धारित/क्रय की गई भूमि का विवरण, आवेदक कंपनी/संस्था द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

(7) यह अनुमति सिर्फ 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने हेतु आवेदक संस्था को प्रदान की जा रही है। इस अनुमति अन्तर्गत, जो आराजी संख्याएं (गाटे), आवेदक कंपनी/संस्था द्वारा क्रय की जायेगी, उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा।

(8) निर्धारित सीमा (12.5 एकड़) से अधिक भूमि क्रय करने के पूर्व आवेदक कंपनी/संस्था द्वारा आवेदित आराजी संख्याओं से संबंधित राजस्व अभिलेखों की जांच, स्वयं अपने स्तर से करनी/करानी होगी। उचित होगा कि आवेदित आराजी संख्याओं (गाटों) की 1359 फसली के खसरों व खतौनियों के साथ-साथ अन्य वांछित अभिलेखों का भली-भाँती परीक्षण करने/कराने के बाद ही भूमि क्रय की जाए। यदि आवेदक संस्था द्वारा किसी भी प्रकार की विवादित भूमि क्रय की जाती है, तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक कंपनी/संस्था का होगा।

(9) भूमि क्रय करने के पूर्व आवेदक कंपनी/संस्था को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि, जो भूमि (आराजी संख्याएँ) संस्था द्वारा क्रय की जा रही हैं, कहीं वो वन अधिनियम, 1986 की विभिन्न धाराओं (मुख्यतः धारा-20) से अच्छादित तो नहीं हैं? यदि आवेदक कंपनी/संस्था द्वारा वांछित राजस्व अभिलेखों/विभिन्न महत्वपूर्ण गजटों का परीक्षण किए बिना ही भूमि क्रय की जाती है और बाद में क्रय की गयी भूमि वन अधिनियम, 1986 की धारा-20 से आच्छादित पाई जाती हैं, तो उससे संबधित विभिन्न प्रतिकूल परिणामों के लिए आवेदक कंपनी/संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।

(10) आवेदक कंपनी/संस्था द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु भूमि क्रय करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि वह 12.5 एकड़ की सीमा से अधिक सिर्फ उतनी ही भूमि क्रय करें, जितना प्रश्नगत औद्योगिक इकाई को स्थापित करने के लिए अनिवार्य/अपरिहार्य है। यदि बाद में यह संज्ञानित होता है कि क्रय की गई भूमि, मानकानुसार न्यूनतम निर्धारित आवश्यकता से अधिक क्रय की गई है तो न्यूनतम मानक से अधिक क्रय की गई भूमि, राज्य सरकार में निहित कर दी जायेगी।

(11) यह अनुमति मिर्जापुर थर्मल एनर्जी यू०पी० प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि के पत्र दिनांक-29.10.2024 द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के क्रम में उप जिलाधिकारी सदर, उप जिलाधिकारी, लालगंज व उप जिलाधिकारी, मड़िहान द्वारा प्रेषित आख्या पर आधारित है। इसलिए यदि भविष्य में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक कंपनी/संस्था (मिर्जापुर थर्मल एनर्जी यू०पी० प्राइवेट लिमिटेड) की होगी तथा अनुमति स्वतः निरस्त समझी जाएगी और निहित सीमा से अधिक क्रय की गई भूमि राज्य सरकार में निहित हो जाएगी।

-3-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) चूँकि यह अनुमति आवेदक कंपनी/संस्था के आवेदन तथा विभिन्न समर्थित शपथ-पत्रों के आधार पर तापीय विद्युत परियोजना हेतु निर्गत की जा रही है। अतः आवेदक कंपनी/संस्था इस भूमि का प्रयोग तापीय विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए ही करेगी तथा इस अनुमति के अधीन क्रय की गई भूमि को, आवेदक कंपनी/संस्था किसी भी दशा में, किसी अन्य कंपनी/संस्था/व्यक्ति आदि को किसी भी प्रकार का अंतरण (विक्रय/दान/आदि) नहीं कर सकेगी।

(13) उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 यथासंशोधित, 2016 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में अनुज्ञा स्वतः निरस्त समझी जाएगी तथा विहित सीमा से अधिक क्रय की गई भूमि राज्य सरकार में निहित हो जाएगी।

(14) संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबंधन में निहित भूमि का पुनर्ग्रहण/विनिमय का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर स्पष्ट संस्तुति सहित सक्षम अधिकारी को अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

(15) उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर संस्था की 5.0586हेक्टेअर से अधिक भूमि को राज्य सरकार में निहित कर लिया जायेगा तथा निहितन के बदले कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा।

(16) जिलाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम-2019 की धारा-89 में वर्णित व्यवस्था एवं समय-समय पर निर्गत एतत् विषयक शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन सम्बन्धी भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार/ प्राधिकरणों/मा0 न्यायालयों/मा0 न्यायाधिकरणों आज के निर्णय/प्रावधन उक्त भूमियों, उन पर स्थापित संरचनाओं और कार्यकलापों पर लागू होगा।

(18) उपरोक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन ऊर्जा विभाग तथा जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

भवदीय,
राम रतन
विशेष सचिव।

**<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(3) आयुक्त, मीरजापुर मण्डल, मीरजापुर।
(4) अधिकृत हस्ताक्षरी, मिर्जापुर थर्मल एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0।
(5) गार्ड फाइल।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in